न्यूज ब्रीफ

संयंत्र के आरएमपी-2 व बीआरएम में आग से फैली अफरा-तफरी

भिलाईनगर। मंगलवार को भिलाई स्टील प्लांट के दो विभागों में फायर एक्सीडेंट हुआ। पहली घटना सुबह की है जहां आरएमपी-2 में आग लगी। वहीं दूसरी घटना मंगलवार शाम की है जो बार एंड रॉड मिल (बीआरएम) की है। हादसे के बाद संयंत्र के दोनों विभागों में अफरा तफरी का माहौल रहा। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। दोनों ही हादसों में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है।मिली जानकारी के अनुसार सुबह आरएमपी-2 के वर्टिकल क्रेन में आग गल गई थी। बताया जा रहा है कि यह आग लाइन किलन-1 के ढाई नंबर प्लेटफॉर्म पर लगी। आग कैसे लगी यह तो पता नहीं चला लेकिन इसे बुझाने में खासी मशक्कत करनी पड़ी। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। जब आग लगी तब कर्मचारियों में अफरा तफरी का माहौल था। वहीं इस घटना में किसी भी प्रकार की जनहानी नहीं हुई।दूसरी घटना मंगलवार शाम की बताई जा रही है। बार एंड रॉड मिल में आग लग गई। यहां पर हल्के धमाके साथ आग लगी। समय रहते ठेका मजदूरों ने समझदारी से काम लिया और आग बुझाने में बड़ी भूमिका निभाई। बीएसपी प्रबंधन द्वारा हादसे को सामान्य बताया जा रहा है। हादसे में किसी प्रकार की जनहानी नहीं हुई है। फिलहाल संयंत्र के इन दोनों की विभागों में स्थिति सामान्य है। बताया जा रहा है बीआरएम की आग ज्यादा फैल जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था।

महाशिवरात्रि पर मनाया भगवान का जन्मोत्सव

साजा। साजा नगर स्थित प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय संस्थान द्वारा भगवान शिव जी का जन्मोत्सव कार्यक्रम हर्षोल्लास से मनाया गया,उक्त कार्यक्रम में संस्थान के सदस्यों की भूमिका सराहनीय रही उक्त कार्यक्रम में नगर के जाने माने और सम्मानित पूर्व शिक्षक डी एन द्विवेदी मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम की शोभा बने। कुछ ही समय में इस संस्थान ने लोगो को अपनी संवेदना से जोड़ा है,प्रत्येक अवसर को उत्सव के रूप में मानने वाले इस ईश्वरीय संस्थान से लोगो का आत्मीय जुड़ाव बना है। आज भगवान शिवा की जयंती उत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए सभी आमजन और अतिथिगणो ने इस संस्थान के सदस्यों की भूमिका की तारीफ करते हुए कहा कि इस संस्थान ने सिर्फ दिया है किसी से आजतक कुछ भी नही लिया यही इनको समाज से अलग स्थान दिलाया है।

अनाधिकृत विकास व निर्माण का नियमितीकरण नहीं कराने पर भिलाई निगम ने 8 स्थानों पर सील बंद करने की कार्रवाई की

नामचीन प्रतिष्ठान शामिल, होटल वत्स की बेसमेंट पर बनी 2 स्टोर रूम तथा पार्टी हॉल सहित कई दुकान व भवन भी हुआ सील

समवेत शिखर संवाददाता

भिलाई नगर। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत अनाधिकृत विकास व निर्माण को लेकर सर्वे किया जा रहा है और इन्हें नियमितीकरण के दायरे में लाने के लिए नोटिस थमाया जा रहा है। नोटिस मिलने के बाद भी नियमितीकरण नहीं कराने वालों पर भिलाई निगम कड़ी कार्रवाई कर रही है। आज भिलाई निगम ने ऐसे 8 स्थानों पर सील बंद करने की कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में बड़े होटल एवं संस्थान, भवन और दुकान भी शामिल है। नेहरू नगर जोन अंतर्गत दो स्थानों पर, वैशाली नगर जोन अंतर्गत 4 स्थानों पर तथा शिवाजी नगर जोन अंतर्गत 2 स्थान पर नियमितीकरण नहीं कराने वालों पर कार्रवाई करते हुए प्रतिष्ठान, संस्थान, भवन को सील बंद किया गया।

उल्लेखनीय है कि निगम आयुक्त रोहित व्यास ने अनाधिकृत विकास व निर्माण का नियमितीकरण कराने के लिए सर्वे करने, शिविर लगाने तथा नोटिस जारी कर नियमितीकरण के दायरे में लाने के लिए कार्रवाई करने के निर्देश दिए है। इसके परिपालन में समस्त जोन क्षेत्र में नियमितीकरण को लेकर कार्रवाई की जा रही है। आज निगम प्रशासन की टीम होटल वत्स पहुंची यहां

बेसमेंट में बने हुए 2 अलग-अलग स्टोर रूम को सील किया तथा नजदीक में बने वत्स के दूसरे होटल में निर्मित पार्टी हॉल, जिसमें विवाह एवं जन्मोत्सव से संबंधित कार्यक्रम होते थे इसे भी पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में सील बंद कर दिया। वैशाली नगर जोन क्रमांक 2 क्षेत्र में वार्ड क्रमांक 14 शांति नगर क्षेत्र में नियमितीकरण नहीं कराने वाले चार भवन को निगम ने सील कर दिया। इसी प्रकार से शिवाजी नगर जोन क्रमांक 4 क्षेत्र में सपना टॉकीज पावर हाउस के समीप की 2 दुकान को नियमितीकरण नहीं कराने पर सील किया गया। निगम अनाल होंडा एवं होटल सेंट्रल पार्क के अनधिकृत निर्माण को भी सील बंद करने की कार्यवाही के लिए निकली थी, सूचना पाते ही इन दोनों संस्थान के संचालक नियमितीकरण कराने के लिए निगम दफ्तर पहुंच गए तथा नियमितीकरण के लिए कर आवेदन दिया, जिसके चलते इन दोनों संस्थानों पर कार्यवाही को रोक दिया गया। अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी के निर्देश पर आज की कार्रवाई में जोन आयुक्त राजेंद्र नायक, येशा लहरे, पूजा पिल्ले, भवन अनुज्ञा अधिकारी हिमांशु देशमुख, उप अभियंता सिद्धार्थ साहू, सहायक राजस्व अधिकारी सुनील निमाड़े, बालकृष्ण नायडू, जगदीश तिवारी, भवन अनुज्ञा विभाग से दौलत चंद्राकर आदि अधिकारी/कर्मचारी मौजूद रहे। गौरतलब है कि भिलाई निगम के द्वारा बारंबार लोगों से अनाधिकृत विकास व निर्माण के तहत भवन अनुज्ञा के विपरीत निर्माण, मिली हुई स्वीकृति के विपरीत निर्माण, आवासीय प्रयोजन में व्यवसायिक निर्माण या बिना स्वीकृति के निर्माण का नियमितीकरण कराने की अपील की जा रही है, इसके लिए शिविर भी आयोजित किए जा रहे हैं, नियमितीकरण के दायरे में लाने के लिए नोटिस भी दिया जा रहा है। बावजूद इसके गंभीरता से नहीं लेने वाले भवन, संस्थान आदि को सील बंद करने की कार्रवाई की जा रही है, आगे भी इसी प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी। नियमितीकरण कराने की अधिक जानकारी के लिए भवन अनुज्ञा विभाग के उप अभियंता शहबाज अहमद के मोबाइल नंबर 9399414300 पर संपर्क किया जा सकता है तथा मुख्य कार्यालय सहित सभी जोन कार्यालय में नियमितीकरण के आवेदन किए जा सकते हैं।

जवानों की शहादत जाया नहीं जाएगी

सभा में शहीदों को किया नमन, अर्पित की श्रद्धांजलि

समवेत शिखर संवाददाता

राजनांदगांव। जिले के बोरतलाव थाना क्षेत्र में सोमवार की सुबह नक्सलियों के हमले में शहीद जिला पुलिस बल के हेड कांस्टेबल राजेश सिंह व सीएएफ के आरक्षक ललित कुमार समरथ को खुज्जी विधायक श्रीमती छन्नी चंदू साहू की मौजूदगी में श्रद्धांजलि दी गई। इस सभा का आयोजन खुज्जी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम चांदो में शाम 6.30 बजे जयस्तंभ चौक पर किया गया। क्षेत्र में जारी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का सोमवार को आखिरी पड़ाव ग्राम चांदों में था। यहां शहीदों के लिए श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। विधायक छन्नी साहू सहित कांग्रेस के पदाधिकरियों-कार्यकर्ताओं व ग्रामीणों ने दो मिनट का मौन रखकर व शहीदों को मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। विधायक छन्नी साहू ने शहीदों के श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके परिवार के लिए संवेदना प्रकट की। उन्होंने कहा कि-हमारे जवानों की शहादत उनके परिवारों पर वज्र आघात की तरह है। इस समय में उन्हें हमारे साथ की जरुरत है और हर कदम पर हम उनके साथ खड़े हैं। मैं ईश्वर से उन्हें इस दुख को सहने की शक्ति देने की व परमात्मा से मृतात्माओं को शांति प्रदान करने की प्रार्थना करती हूं। उन्होंने कहा कि, जवानों की ये शहादत जाया नहीं जाएगी। श्रद्धांजलि सभा में जिला पंचायत सदस्य कांति भंडारी, कुमर्दा ब्लॉक अध्यक्ष अब्दुल खान, जनपद सदस्य देव पन्द्रों, जनपद सदस्य ओमप्रकाश पड़ोती, विधायक प्रतिनिधि एकनाथ सिन्हा, चुमन्न साहू आदि मौजूद थे।

मिलेट्स कार्निवल संगोष्ठी में कवर्धा वनमण्डल के जुनवानी स्व-सहायता समूह को सम्मानित किया

समवेत शिखर संवाददाता

कवर्धा। इंडियन इंस्टि्यट ऑफ मिलेट्ल रिसर्च हैदराबाद तथा छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ रायपुर के संयुक्त तत्वाधान में 17 फरवरी 2023 से 19 फरवरी 2023 तक, सुभाष स्टेडियम रायपुर, पोष्टिक धान्य (मिलेट्स कार्निवल) का आयोजन किया गया। मिलेट्स कार्निवल के समापन समारोह में कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे ने कबीरधाम जिले के प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति जुनवानी के प्रबंधक श्री बसंत मानिकपुरी तथा दुर्गा स्व-सहायता समूह के अध्यक्ष एवं सचिव को सर्वाधिक कोदो, कुटकी उपार्जन करने तथा प्राथमिक प्रसंस्करण करने पर प्रशस्ति पत्र तथा स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। वन बल प्रमुख संजय शुक्ला, डायरेक्टर ए.पी.ई.डी.ए. डॉ. तरूण बजाज, पी.आई.सी.ई.ओ. आर.ए.बी. आई.जी.के.वी. डॉ. हुलास पाठक, प्रोफेसर राम कुमार कांकाणी डायरेक्टर

आई.आई.एम. रायपुर, वनमंडलाधिकारी कवर्धा श्री चूड़ामणी सिंह सहित गणमान नागरिक उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ राज्य में संग्रहित मिलेट्स का 50 प्रतिशत कोदो, कुटकी व रागी कवर्धा (कबीरधाम) जिले में उपार्जित किया जाता है। वनमण्डलाधिकारी ने संगोष्ठि में कहा कि अभी हम टेस्टी फूड पर ध्यान देते है, हेल्दी फूड पर नही।

जबकि पोष्टिक भोजन भी हेल्दी होता है जैस कोदो, कुटकी व रागी के व्यंजन भी हेल्दी होते है। इनमें प्रोटीन, रेशा, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। उन्होंने बताया कि हमे दैनिक खान-पान में मिलेट्स का उपयोग करना चाहिए। कवर्धा वनमण्डल में 05 वन धन केन्द्रो में से चार स्थानो बोड़ला, जुनवानी, रेगाखार तथा तरेगांव में कोदो, कुटकी प्रसंस्करण की मशीने लगाई गई है।

पेयजल की आपूर्ति लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी : वोरा

समवेत शिखर संवाददाता

दुर्ग। वरिष्ठ विधायक एवं राज्य भंडारगृह निगम के अध्यक्ष अरुण वोरा ने निगम के अधिकारियों को पेयजल की आपूर्ति के लिए मुश्तैद बने रहने के निर्देश दिए है। श्री वोरा ने कहा कि पेयजल की सप्लाई में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहर के नागरिको को पीने के पानी समस्या नहीं होनी चाहिए। उन्होने कहा कि वे आने वाले दिनों में शहर के विभिन्न वार्डो में दौरा कर पेयजल की सप्लाई की जानकारी लेगे। सुराना कॉलेज वार्ड 40 के लगभग दर्जनभर महिला व पुरुषों ने मंगलवार को सुबह पद्मनाभपुर स्थित वोरा निवास में पहुंचकर विधायक से मुलाकात की।

ईडी की छापेमारी भाजपा की हताशा का परिणाम : वोरा

दुर्ग। वरिष्ठ विधायक एवं राज्य भंडारगृह निगम के अध्यक्ष अरुण वोरा ने कहा है कि ईडी छापामार कार्यवाही केन्द्र में सत्तासीन भाजपा सरकार की हताशा का परिणाम है। भारत जोड़ो यात्रा की सफलता और अडानी सच्चाई उजागर होने के बाद भाजपा की बौखलाहट बढ़ गई है।

नगर पालिक निगम भिलाई के वार्ड क्षेत्रों में आधार अपडेशन एवं आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए लगेगा शिविर

भिलाई नगर। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत महापौर नीरज पाल तथा निगम आयुक्त रोहित व्यास के निर्देश पर आधार कार्ड के अपडेशन के लिए तथा आयुष्मान कार्ड तैयार करने के लिए शिविर का आयोजन किया जा रहा है। अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी ने शिविर का शेड्यूल का आदेश जारी कर दिया है। शिविर 23 फरवरी 2023 से प्रारंभ होगा। शिविर के माध्यम से जिनके आधार कार्ड 10 वर्ष पूर्व बने हुए हैं उनके आधार कार्ड को अद्यतन करने का काम किया जाएगा। इसके लिए शिविर में आधार कार्ड के ऑपरेटर मौजूद रहेंगे। शिविर के सफलतम आयोजन के लिए कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी गई है। आयुष्मान कार्ड बनवाने तथा आधार अपडेशन के लिए भिलाई निगम के वार्ड क्षेत्रों में शिविर का आयोजन किया जाएगा।

कार्यालय नगरपालिका परिषद गोबरा नवापारा, जिला-रायपुर (छ.ग.)
क्र/3173/राजस्व/न.पा./2022-23,
गोबरा नवापारा, दिनांक 21/02/2023

इश्तिहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि **वार्ड क्रमांक 14 राधाकृष्ण वार्ड स्थित भवन/भूमि कर डिमांड पंजी सरल क्रमांक 24 में दर्ज है, जो कि नगरपालिका अभिलेख में श्री कुलदीप साहू, नागेन्द्र साहू, धर्मेन्द्र साहू पिता श्री चंद्रिका साहू, श्रीमती उमा साहू पति स्व. अजीत साहू, वार्ड क्र.14 के नाम से दर्ज है, जिसको श्री यश कुमार पारख पिता संजय पारख गोबरा नवापारा ने रजिस्ट्री मलमा बिक्री अभिलेख द्वारा जिनका प.ह.नं. 46, रा.नि.मं. गोबरा नवापारा, खसरा नं. 857/3 का भाग रकबा 405 वर्गफुट को प्राप्त** नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 150 के तहत नामांतरण हेतु आवेदक प्रस्तुत किया है, यदि कोई व्यक्ति/संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते है, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा समयावधि पश्चात् किसी भी प्रकार की की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी।

मुहर
मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगरपालिका परिषद, गोबरा नवापारा
जिला-रायपुर (छ.ग.

कार्यालय नगरपालिका परिषद गोबरा नवापारा, जिला-रायपुर (छ.ग.)
क्र/3176/राजस्व/न.पा./2022-23,
गोबरा नवापारा, दिनांक 21/02/2023

इश्तिहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि **वार्ड क्रमांक 14 राधाकृष्ण वार्ड स्थित भवन/भूमि कर डिमांड पंजी सरल क्रमांक 24 में दर्ज है, जो कि नगरपालिका अभिलेख में श्री कुलदीप साहू, नागेन्द्र साहू, धर्मेन्द्र साहू पिता श्री चंद्रिका साहू, श्रीमती उमा साहू पति स्व. अजीत साहू, वार्ड क्र.14 के नाम से दर्ज है, जिसको श्री यश कुमार पारख पिता संजय पारख गोबरा नवापारा ने रजिस्ट्री अभिलेख द्वारा जिनका प.ह.नं. 46, रा.नि.मं. गोबरा नवापारा खसरा नं. 830/1 का भाग रकबा 405 वर्गफुट को प्राप्त** नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 150 के तहत नामांतरण हेतु आवेदक प्रस्तुत किया है, यदि कोई व्यक्ति/संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते है, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा समयावधि पश्चात् किसी भी प्रकार की की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी।

मुहर
मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगरपालिका परिषद, गोबरा नवापारा
जिला-रायपुर (छ.ग.

कार्यालय नगरपालिका परिषद गोबरा नवापारा, जिला-रायपुर (छ.ग.)
क्र/3175/राजस्व/न.पा./2022-23,
गोबरा नवापारा, दिनांक 21/02/2023

इश्तिहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि **वार्ड क्रमांक 14 स्थित भवन/भूमि कर डिमांड पंजी सरल क्रमांक 24 में दर्ज है, जो कि नगरपालिका अभिलेख में श्री कुलदीप साहू, नागेन्द्र साहू, धर्मेन्द्र साहू पिता श्री चंद्रिका साहू, श्रीमती उमा साहू पति स्व. अजीत साहू, वार्ड क्र.14 के नाम से दर्ज है, जिसको श्री यश कुमार पारख पिता संजय पारख गोबरा नवापाराने रजिस्ट्री अभिलेख द्वारा जिनका प.ह.नं. 46, रा.नि.मं. गोबरा नवापारा, खसरा नं. 828/28 का भाग रकबा 2400 वर्गफुट, 830/1 का भाग 1080 वर्गफुट को प्राप्त** नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 150 के तहत नामांतरण हेतु आवेदक प्रस्तुत किया है, यदि कोई व्यक्ति/संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते है, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा समयावधि पश्चात् किसी भी प्रकार की की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी।

मुहर
मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगरपालिका परिषद, गोबरा नवापारा
जिला-रायपुर (छ.ग.

न्यायालय तहसीलदार आरंग, जिला रायपुर (छ.ग.)

//ईश्तहार//

रा.प्र.क्र.... ग्राम आरंग

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक शहाबुद्दीन कुरैशी पिता स्व. उस्मान कुरैशी ग्राम आरंग तहसील-आरंग जिला-रायपुर छ.ग. द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर अपने पिता मृत्यु दिनांक 1.6.2003 का पंजीयन कराने हेतु पंजीयक जन्म/मृत्यु को आदेश जारी करने की मांग किया है ताकि मृत्यु का प्रमाण पत्र आवेदक को प्राप्त हो सके।

उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति को दावा/ आपत्ति हो तो वे इस न्यायालय के दिनांक 3.3.2023 तक आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है नियत तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

यह ईश्तहार आज दिनांक 21.2.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

मुहर
तहसीलदार
आरंग

न्यायालय तहसीलदार गोबरा नवापारा जिला रायपुर (छ.ग.)

//ईश्तहार//

रा.प्र.क्र. 20230111100108 अ/6 (अ) 2022-23
ग्राम तामासिवनी पहनं. 05 रा.नि.मं. तोरला
तह. गोबरा नवापारा जिला रायपुर छ.ग.
क्रमांक/ / वा-1/ तह./ 2023 नवापारा, दिनांक 3.2.2023

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक भागीराम पिता गोविंद एवं अन्य 02 निवासी ग्राम तामासिवनी के द्वारा ग्राम तामासिवनी पहनं. 05 रा.नि.मं. तोरला तहसील गोबरा नवापारा जिला रायपुर छ.ग. स्थित भूमि खसरा नंबर 371 रकबा 0.31 हे. भूमि शिवरतन एवं अन्य 04, खसरा नंबर 372 भागीराम, खसरा नंबर 373 खूबचंद एवं अन्य 02, खसरा नंबर 1512 शिवरतन एवं अन्य 04, खसरा नंबर 1516 भागीराम खसरा नंबर 1714 खूबचंद एवं अन्य 02 खसरा 1715 भागीराम, खसरा नंबर 2120 भागीराम तथा खसरा नंबर 1131 खूबचंद एवं अन्य 02, खसरा नंबर 2102 भागीराम, खसरा नंबर 2099 भागीराम, खसरा नंबर 2100 खुबचंद, खसरा नंबर 2091 भागीराम एवं अन्य 02 के नाम पर वर्तमान भू-राजस्व अभिलेख में दर्ज है। खसरा नंबर 371 शिवरतन एवं अन्य 04 खसरा नंबर 372 खूबचंद एवं अन्य 02 का खसरा नंबर 373 में भागीराम का कब्जा अनुसार रकबा खसरा एवं नक्शा सुधार खसरा नंबर 1513 भागीराम का रकबा कम एवं नक्शा त्रुटि खसरा नंबर 1516 शिवरतन एवं अन्य 04 का खसरा नंबर 1714 भागीराम का, खसरा नंबर 1715 खूबचंद एवं अन्य 02 का खसरा नंबर 2120 खूबचंद एवं अन्य 02 का खसरा नंबर 1131 भागीराम का खसरा नंबर 2102 खूबचंद एवं अन्य 02 का खसरा नंबर 2100 खसरा नंबर 2091में खूबचंद एवं अन्य 02 का कब्जा अनुसार खसरा नंबर 1413, 1516, 1714, 1715, 2120, 1131, 2102, 2100, 2091 त्रुटि है, कब्जा अनुसार खसरा रकबा सुधार तथा खसरा नंबर 2091 एवं खसरा नंबर 2102 में वर्तमान भू-राजस्व अभिलेख में कास्त एवं कब्जा अनुसार रकबा कम दर्ज हुआ है तथा खसरा नंबर 2009 तथा खसरा नंबर 2100 का रकबा वर्तमान भू-राजस्व अभिलेख में कास्त एवं कब्जा अनुसार ज्यादा दर्ज किया गया है। अतः आवेदकगण अपने-अपने स्वामित्व की उक्त भूमि के अभिलेख में रकबा एवं नक्शा में हुए उपरोक्त त्रुटि को काश्त कब्जा अनुसार सुधार किये जाने हेतु अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अभनपुर के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, जो इस न्यायालय को जांच प्रतिवेदन हेतु प्राप्त हुआ है। जिसकी सुनवाई दिनांक 28.02.2023 को नियत है।

इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई दावा/ आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो आप अपने अधिवक्ता/ अधिकृत व्यक्ति या स्वयं के द्वारा नियत पेशी दिनांक के पूर्व दावा आपत्ति पेश कर सकते है। बाद में आये दावा/आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 3.2.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय के मुद्रा से जारी किया गया है।

तहसीलदार
गोबरा नवापारा
मुहर

कार्यालय कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायपुर संभाग क्र.-1, रायपुर
मैनुअल पद्धति से निविदा आमंत्रण सूचना

विज्ञप्ति क्रमांक 1381/एन.आई.टी.-61/टी.सी./22-23 रायपुर, दिनांक 17/02/2023

कार्य का विवरण	अनुमानित राशि (लाखों में)
S/R, MOW Work and Small Deposit Work at Circuit House Section (GAD Judges, Police & PWD Colony Civil Line) under PWD Sub Division No.-1, Raipur	19.90
S/R, MOW and Other Deposit work in Old Mantralaya Section under Sub Division No.-1, Raipur	19.90

निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की तिथि- 10.03.2023

2. उपरोक्त निर्माण कार्यों की निविदा की सामान्य शर्तें, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी कार्यालयीन अवधि में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। साथ ही यह जानकारी विभागीय वेबसाईट www.cg.nic.in/pwdraipur में LIve Tender के अंतर्गत निविदा प्रपत्र में उपलब्ध। इनका अवलोकन संबंधित संभाग कार्यालय में किया जा सकता है।

कार्यपालन अभियंता
लोक निर्माण विभाग संभाग क्र.-1
रायपुर
जी-98688/2

कार्यालय नगर पालिका परिषद सक्ती, जिला-सक्ती (छ.ग.)

क्रमांक/1599/लो.नि.वि./न.पा./2023 सक्ती, दिनांक 20/02/23

मैनुअल पद्धति निविदा सूचना

निकाय/अध्यक्ष/जलकष्ट, मरम्मत संधारण, पार्षद/एल्डरमेन निधि एवं अन्य उपलब्ध मद अंतर्गत पंजीकृत फर्म/ठेकेदार/स्थानीय सप्लायरों/निर्माण कंपनी से नगर पालिका परिषद सक्ती में वार्षिक निविदा 2023-24 में निम्नांकित कार्य के लिए प्रपत्र 'ब' में त्रि-लिफाफा पद्धति से पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से निविदा आमंत्रित की जाती है। विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1. निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि :-
10.03.2023 समय 05:00 बजे तक
2. निविदा प्रपत्र जारी करने की तिथि :-
17.03.2023 समय 05:00 बजे तक
3. निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि :-
23.03.2023 समय 03:00 बजे तक
4. निविदा प्रपत्र खोलने की तिथि :-
23.03.2023 समय 04:00 बजे

क्र.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत राशि (लाख में)	अमानत राशि	निविदा प्रपत्र मूल्य
1	नल जल सामग्री क्रय	18.00	18000.00	750.00

निविदा से संबंधित समस्त जानकारी कार्यालयीन समयावधि में पी.डब्ल्यू.डी. शाखा से प्राप्त किया जा सकता है। शेष शर्तें एवं जानकारियां कार्यालयीन अवधि में देखी जा सकती है।
टीप:- यदि नियत दिनांक को अपरिहार्य कारणों से निविदा खोलने की कार्यवाही संपादित नहीं होती है, तो आगामी दिवस की सूचना पृथक से जारी किया जावेगा।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद सक्ती

संपत्ति की ऑनलाइन ई-नीलामी बिक्री
फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड
PhoenixARC
पंजीकृत कार्यालय: दानी कॉरपोरेट पार्क, 5वीं मंजिल, 158, सी.एस.टी. रोड, कलिना, सांताक्रूज (पूर्व), मुंबई-400098, टेलीफोन: 022-67412314, फैक्स: 022-67412313, सीआईएन: U67190MH2007PTC168303 EMAIL: INFO@PHOENIXARC.CO.IN
WEBSITE: WWW.PHOENIXARC.CO.IN

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के शर्त के साथ पठित नियम 8(5) के तहत वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री नोटिस।

सामान्य रूप से आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ताओं और गारंटरों को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, जिसका भौतिक कब्जा फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड **(फीनिक्स ट्रस्ट वित्त वर्ष 19-5 योजना-I के ट्रस्टी के रूप में कार्य करना)** के अधिकृत अधिकारियों द्वारा लिया गया है, 30.09.2022 को "PARC" के रूप में पसंद किया जाना), बजाज फाइनेंस लिमिटेड (बीएफएल) द्वारा इसके पक्ष में ऋण के असाइनमेंट के अनुसार, पर बेचा जाएगा 1,03,97,530/ रुपये (एक करोड़ तीन लाख सनतान्वे लाख पांच सौ तीस रुपए मात्र) की वसूली हेतु 27.03.2023 को दोपहर 12.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे के बीच, 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ, 'जैसा है, जहां है', 'जो है जैसा है' और 'जो कुछ भी है' के आधार पर 17.02.2023 से आगे के ब्याज के साथ 16.02.2023 तक सभी लागत, शुल्क और व्यय के साथ पूर्ण भुगतान तक बेचा जाएगा, ऋण खाता संख्या के तहत 454LAP31418152, "PARC" के कारण, सुरक्षित लेनदार से श्री दीपक कुमार झा पिता श्री. कमलेश्वर झा, श्रीमती शालिनी झा पति श्री दीपक कुमार झा और मैसर्स वी. के. सेल्स एंड सर्विसेज , जो इसके मालिक श्री दीपक कुमार झा के माध्यम द्वारा संचालित है। यहां आरक्षित मूल्य 36,00,000/ रुपए (छत्तीस लाख रुपये मात्र) एवं बयाना जमा राशि 3,60,000/- (तीन लाख साठ हजार रुपए मात्र) एवं केवाईसी के साथ ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 24.03.2023 शाम 7.00 बजे (भारतीय समयानुसार) है।

संपत्ति का विवरण : ढाक पताः शांकबरी मंदिर, नकुल गैरज, पोद्दार तालाब, रामकुंड, वंदना ओटो के पीछे, रायपुर, छत्तीसगढ़-492001.
अधिक विशेष रूप से वर्णित : आरसीसी संरचना के साथ-साथ जमीन के वह सभी हिस्सा एवं खंड पुराना खसरा नं. 465/2 और नया खसरा नं. 465/4, परिमाप 1548 वर्ग फीट, जो वार्ड नं. 16, प. ह. नं. 106, राजस्व निरीक्षण न. 1, शहीद चुड़ामणि वार्ड चिहुलडीह रामकुंड-492001 में स्थित है। संपत्ति घिरे हुए हैं: उत्तर : अन्य दूसरे का मकान, दक्षिण : सावित्री बाई जीजे रूपचंद सिंधी का मकान, पूर्व: सड़क, पश्चिम : दूसरे का प्लाट। सुरक्षित संपत्ति को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, सरफेसी अधिनियम की धारा 13 की उप धारा 8 के प्रावधानों के तहत उधारकर्ता का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

सामान्य रूप से जनता और विशेष रूप से उधारकर्ता कृपया ध्यान दें कि यदि यहां निर्धारित नीलामी किसी भी कारण से विफल हो जाती है तो सुरक्षित लेनदार निजी संधि के माध्यम से बिक्री के माध्यम से सुरक्षा ब्याज लागू कर सकता है।

बिक्री के तहत सुरक्षित संपत्तियों के संबंध में किसी भी स्पष्टीकरण/आवश्यकता के मामले में, बोलीदाता **श्री अक्षित सोलंकी (+91 7302111608), श्री सौरभ तिनखेड़े (+91 7058008806), श्री गोविंदा पोद्दार (+91 9073697729), श्री पंकज राय (+91 7768003567) एवं श्री राजेंद्र दहिया (+91 8448264515)** से संपर्क कर सकते है।

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया https://phoenixarc.co.in?p=3165 या PARC'S की वेबसाइट WEBSITE: WWW.PHOENIXARC.CO.IN और/या https://bankauctions.in पर लिंक देखें।

स्थान : रायपुर (छ.ग.)
दिनांक : 22.02.2023
प्राधिकृत अधिकारी, फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड
(फीनिक्स ट्रस्ट वित्त वर्ष 19-5 योजना-I के ट्रस्टी के रूप में कार्य करना)

इक्विटास स्माल फायनेंस बैंक लिमिटेड
equitas Small Finance Bank
(पूर्व में इक्विटास फाइनेंस लिमिटेड के रूप में जाना जाता था)
कार्पोरेट ऑफिस : नं. 769, स्पेंसर प्लाजा, चौथा फ्लोर, फेज-2, अन्ना सलाई, चेन्नई, तमिलनाडु-600 002

कब्जा नोटिस (यू/एस. नियम 8 (1) -अचल संपत्ति के लिए)

अधोहस्ताक्षरी इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के अधिकृत अधिकारी वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के तहत नियम 9 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के तहत 60 दिनों की अवधि के भीतर उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत संबंधित नोटिस में उल्लेखित राशि को चुकाने के लिए संबंधित उधारकर्ताओं से मांग नोटिस जारी किया। उक्त राशियों को चुकाने में संबंधित उधारकर्ता असफल रहे हैं, इसके द्वारा उधारकर्ताओं, गारंटरों और सामान्य रूप से जनता को नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उप धारा (